

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग,
30प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 06 अक्टूबर, 2015

विषय:- प्रदेश में समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग के नियंत्राधीन संचालित/निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित किये जाने तथा इन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-594/स.क.1-2015/विकास (312)/मु.म.घो./नवो0 पैटर्न/अ0प0वि0/2015-16, दि.-03-08-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल प्रदेश में संचालित/निर्माणाधीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित किये जाने तथा इन्हें सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं-

1- प्रदेश में वंचित वर्ग के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु जिन 16 जनपदों में अभी तक राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित नहीं हैं, उनमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अवरोही क्रम में आगामी 05 वर्षों में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक जनपद 01 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय स्थापित किया जायेगा। इन विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा हेतु धनराशि की व्यवस्था अनुदान संख्या-83 (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) से चरणबद्ध रूप से की जायेगी।

2- पूर्व से संचालित एवं नवनिर्मित स्थापित होने वाले राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर संचालित कराया जायेगा तथा इनकी सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) नई दिल्ली से करायी जायेगी।

3- आश्रम पद्धति विद्यालय का निर्माण कम से कम 05 एकड़ भूमि पर किया जायेगा। विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि समाज कल्याण विभाग को सम्बन्धित जिलाधिकारी के स्तर से निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। नवीन आश्रम पद्धति विद्यालय केवल बालक या बालिकाओं के लिये खोले जायें इस सम्बन्ध में निर्णय मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति उपरान्त मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा लिया जायेगा।

वर्तमान में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों को नवोदय विद्यालयों की भांति कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जायेगा। शैक्षिक सत्र 2016-17 में कक्षा-1 में कोई प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा प्रतिवर्ष क्रम से एक कक्षा कम करते हुए वर्ष 2020-21 तक कक्षा 1 से 5 तक की पढाई समाप्त कर दी जायेगी। वर्ष 2016-17 से संचालित होने वाले नये आश्रम पद्धति विद्यालय में तत्काल प्रभाव से कक्षा-6 से 12 तक की पढाई प्रारंभ की जायेगी।

4- कक्षा 6 में छात्रों का नामांकन नवोदय विद्यालयों की भांति प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश परीक्षा में परिषदीय विद्यालयों के कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र सम्मिलित होंगे। प्रवेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

परीक्षा बेसिक शिक्षा विभाग के सहयोग से सम्पन्न कराई जायेगी। मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु चयनित छात्रों की सूची जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित की जायेगी। प्रवेश प्रक्रिया सामान्यतः एक साथ दिसंबर माह में सम्पन्न कराई जायेगी तथा इसका कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा निर्धारित किया जायेगा। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में 85 प्रतिशत छात्र ग्रामीण क्षेत्र से तथा 15 प्रतिशत छात्र शहरी क्षेत्र से चयनित किए जायेंगे। संस्थाओं में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के बच्चों को पूर्व की भांति प्रवेश दिया जायेगा।

कक्षा-6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35-35 छात्रों के दो सेक्शन संचालित होंगे। प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या-490 होगी।

5- आश्रम पद्धति विद्यालयों के विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य हेतु टाइप-IV का एक तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ हेतु ट्रांजिट हास्टल (02 रूम सेट) तथा गैर शैक्षणिक स्टाफ हेतु 01 रूम सेट का हास्टल निर्माण कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय तथा कम्प्यूटर कक्ष की व्यवस्था की जायेगी।

कक्षा-9 से 12 तक "स्मार्ट क्लासेज" संचालित करने हेतु भी आवश्यक व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय में इंटरनेट तथा कम्प्यूटर की सुविधा भी उपलब्ध करायी जायेगी।

6- नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के नक्शे को नये सिरे से डिजाइन कराया जायेगा और प्राक्कलन को प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी0एफ0ए0डी0)/व्यय वित्त समिति (ई0एफ0सी0) द्वारा अनुमोदित कराया जायेगा। सभी विद्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एल0ई0डी0 बल्बों का प्रयोग तथा वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था भी डिजाइन में सम्मिलित की जायेगी। इसके अतिरिक्त छात्रावास एवं विद्यालय की साज-सज्जा/फर्नीचर आदि पर होने वाला व्यय भी निर्माण लागत में सम्मिलित होगा। प्रत्येक आश्रम पद्धति विद्यालय में बच्चों हेतु इनडोर एवं आउटडोर स्पोर्ट्स की सुविधा भी होगी।

7- प्रधानाचार्य विद्यालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी तथा आहरण वितरण अधिकारी होगा। प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने की स्थिति में शिक्षा विभाग की भांति सम्बन्धित विद्यालय के वरिष्ठतम प्रवक्ता द्वारा कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दायित्व वहन किया जायेगा।

8- सभी पदों पर चयन हेतु आयु-सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयु सीमा के अनुरूप होगी।

9- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय आवासीय विद्यालय हैं, अतएव इनमें शिक्षण कार्य की अवधि प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक होगी और बीच में आवश्यकतानुसार 01 घंटे का भोजनावकाश होगा। 01 घंटे का बाह्य क्रीड़ा अवधि होगी, जिसका समय प्रधानाचार्य द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बालिका विद्यालयों में महिला स्टाफ की तैनाती की जायेगी।

10- विद्यालय के नियमित स्टाफ के पाल्य को उस संस्था में दिवसीय छात्र के रूप में अध्ययन की सुविधा अनुमन्य होगी। इसी प्रकार विद्यालयों में हास्टल के 03 हाउस मास्टर तथा 03 सह हाउस मास्टर प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षकों से नामित किया जायेगा। हाउस मास्टर प्रवक्ता संवर्ग से तथा सह हाउस मास्टर सहायक अध्यापक एल0टी0गेरड संवर्ग से होगा। इन्हें क्रमशः 800/- तथा 400/- प्रतिमाह भत्ता नवोदय विद्यालयों की भांति दिया जायेगा।

11- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों हेतु विशिष्ट ड्रेस कोड निर्धारित किया जायेगा तथा नवोदय विद्यालय की भांति छात्रों को दो सेट सलेटी कलर की पैन्ट लाल नीला सफेद चेकदार शर्ट तथा एक जोड़ी काले जूते व मोजे व एक सेट सफेद पैन्ट-शर्ट तथा एक जोड़ी सफेद जूता मोजा दिया जायेगा। छात्राओं को दो सेट लाल नीला सफेद चेकदार शर्ट/कुर्ता तथा सलेटी कलर की स्कर्ट (टूनिक)/सलवार व सफेद दुपट्टा तथा एक जोड़ी काले जूते-मोजे व एक सेट सफेद शर्ट स्कर्ट (टूनिक)/सलवार कुर्ता व दुपट्टा तथा एक जोड़ी सफेद जूता मोजा दिया जायेगा। शीतकाल में मैरून कलर का ब्लेजर/फुल स्वेटर तथा एक हाफ स्वेटर कक्षा 6, 9 व 11 में दिया जायेगा। इसी प्रकार छात्र एवं छात्राओं को कक्षा 6, 9 व 11 में एक ट्रैक सूट भी दिया जायेगा। प्रत्येक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

छात्र/छात्रा को एक हाउस की टी-शर्ट भी प्रदान की जायेगी। कक्षा 9 से 12 तक सभी छात्राओं का परिधान अनिवार्य रूप से सलवार-कुर्ता एवं दुपट्टा होगा।

12- नवोदय विद्यालय की भांति राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्रों को देय सुविधायें एवं सामग्री की व्यवस्था निम्नवत् होगी:-

(क)-प्रवेश के समय देय सुविधाएं-

1.	गद्दा	01
2.	कम्बल	01
3.	चादर	02
4.	तकिया	01
5.	तकिया कवर	02

(ख)-प्रतिवर्ष देय सुविधाएं-

1.	चेकदार शर्ट	02
2.	पैन्ट कार्बन ब्लू	02
3.	सफेद शर्ट	01
4.	सफेद पैन्ट	01
5.	हाउस टी-शर्ट	01
6.	हवाई चप्पल	01 जोड़ी
7.	जूते काला(मोजे सहित)	01 जोड़ी
8.	जूते सफेद(मोजे सहित)	01 जोड़ी
9.	तौलिया	01

(ग)- दैनिक उपयोग की वस्तुएं प्रति माह

1.	दूधपेस्ट 50 ग्राम	01
2.	दूधब्रस तीन माह में	01
3.	नहाने का साबुन 75 ग्राम	01
4.	डाबर ऑयल 50 ग्राम	01
5.	रिन साबुन 250 ग्राम	01
6.	जूता पालिस वर्ष में	01

(घ) कक्षा-6, 9 एवं 11 को देय सुविधाएं

1.	स्वैटर फुल	01
2.	ट्रैक सूट	01
3.	ब्लैजर कोट	01

छात्राओं की **Natural Essence** के दृष्टिगत उन्हें आवश्यक सामग्री आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

13- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विद्यालय का प्रतिवर्ष पैनेल इन्सपेक्शन (**Panel inspection**) आयोजित किया जायेगा। पैनेल निरीक्षण दल का नेतृत्व मण्डल मुख्यालय पर तैनात संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा करेंगे और दल में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रतिनिधि, जो डायट के प्रधानाचार्य से न्यून न होंगे, एक प्रधानाचार्य राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, एक स्थानीय शिक्षाविद् तथा जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक होंगे। पैनेल निरीक्षण दल की रिपोर्ट मण्डलायुक्त तथा संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी। निरीक्षण दल की रिपोर्ट की समीक्षा कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।